न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 47 / 2024

उनवान

1 श्रवण पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा नि0 मोहनपुरा / श्रीनगर, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

1. नानू पुत्र बीररम जाति रेगर निवासी ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद
2. अजमेर विकास प्राधिकारी, अजमेर
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 अनुपस्थित, 2 जरियें अधिवक्ता श्री संदीप अग्रवाल
3 जरियें राज0 पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :– दिनांक :–

प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर में प्रार्थी की खातेदारी आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
4443	0.12	4317	0.12
3095	0.14	10104 / 4318	0.05
		10105 / 4318	0.09

वादग्रस्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 4443 व 3095 सही व नियत स्थान पर दर्शित है। प्रार्थी के खसरा नम्बर के आगे वंर्किग खसरा नम्बर 3093 रकबा 0–17–0 स्थित थी, जिसके हाल खसरा नम्बर 4254 / 8578 रकबा 0.14 किस्म गै.मु. मोरी है। हाल नक्शा ट्रेस बनाते समय खसरा नम्बर 4443 व 3095 के हाल खसरा नैबर 4317 व 10104 / 4318, 10105 / 4318 के पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 4294 / 8533 रकबा 0.01 अप्रार्थी संख्या 1 का दर्शित कर दिया गया, जबकि वंर्किग नक्शा में उक्त खसरा नम्बर 4483 था। वंर्किग खसरा नम्बर 3093 के हाल खसरा नम्बर 4254 / 8578 को वर्तमान राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 4341 के पूर्वी दिशा में अंकित कर दिया। राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण प्रार्थी को कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व मानचित्र वंर्किग मानचित्र अनुसार दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अ[illegible] को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 प्रकरण में [illegible] सरकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नम्बर 309[illegible] नक्शा 1983 में उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:59:02 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खसरा नम्बर 4254/8578 रकबा 0.14 मोरी दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर वर्तमान में खसरा नम्बर 4341 के उपर दर्ज है, जो कि वंर्किग खसरा नम्बर 3093 के अनुसार गलत जगह दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वंर्किग से आधार नक्शा बनाते समय गलत जगह दर्ज कर दिया। वंर्किग नक्शा अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष विधिक प्रावधान के विपरित जाकर प्रार्थनना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम श्रीनगर की आराजी मुतनाजा किस्म गै.मु. मोरी भूमि सिवायचक से श्रीमान जिला कलक्टर महादेय, अजमेर के आदेश अनुसार अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित भूमि है। प्रार्थी द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 74 के प्रवधानों की पालना नही की गयी है। धारा 80 सी.पी.सी. की पालना नही की गयी है। प्रकरण की सुनवाई का अधिकार हाजा न्यायालय को नही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 10104/4318 रकबा 0.05 व 4317 रकबा 0.12 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी की है। हाल खसरा नम्बर 4294/8533 रकबा 0.01 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में हैं। प्रार्थी की खातेदारी के वंर्किग खसरा नम्बर 4443 व 3095 है। जिसके पास लगती हुयी मोरी खसरा नम्बर 3093 स्थित है। जो कि वंर्किग मानचित्र से सुस्पष्ट है। हाल राजस्व मानचित्र में प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 4317 व 10104/4318 के पास लगती हुयी मोरी खसरा नम्बर 4294/8533 दर्शित है जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर के वंर्किग खसरा नम्बर 4483 बने है जो कि पूर्व में मानचित्र में अन्यत्र अंकित थे। राज. पैरोकार ने में अपने जवाब में उक्त कथन की पुष्टि की है। प्रार्थी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट में भी आराजी मुतनाजा के समीप स्थित मौरी का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है।

अप्रार्थी संख्या 2 का कथन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम श्रीनगर की आराजी मुतनाजा किस्म गै.मु. मोरी भूमि सिवायचक से श्रीमान जिला कलक्टर महादेय, अजमेर के आदेश अनुसार अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित भूमि है। प्रार्थी द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 74 के प्रवधानों की पालना नही की गयी है। धारा 80 सी.पी.सी. की पालना नही की गयी है। प्रकरण की सुनवाई का अधिकार हाजा न्यायालय को नही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। किन्तु प्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा है। मानचित्र दुरूस्त करने का श्रेत्राधिकार हाजा न्यायालय को ही है। मानचित्र का अंकन सही होने से अप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। अप्रार्थी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। हाल इन्द्राज दुरूस्त करने से पक्षकार के खातेदारी अधिकार व रकबे में परिवर्तन नही होगा। राज. पैरोकार के जवाब, पटवारी रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज से राजस्व मानचित्र दुरूस्त करना न्यायोचित है।

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 10104/4318 रकबा 0.05, 4317 रकबा 0.12 व 4294/8533 रकबा 0.01 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद प्रार्थी की खातेदारी हाल खसरा नम्बर 10104/4318 रकबा 0.05, 4317 रकबा 0.12 के समीप स्थित गै.मु मोरी 4294/8533 के वंर्किग व हाल राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी ... दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:59:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)